प्रेषक *संख्याः- 1280/पचास-यु.क.-2019-17(विविध)/2017*

फलेन्द्र पाल सिंह राठौर

अनुसचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक

प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल

एवं युवा कल्याण, उ.प्र., लखनऊ

युवा कल्याण अनुभाग *लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2019*

विषयः- *एक जनपद से प्रशिक्षित पी.आर.डी. जवान का दूसरे जनपद में एनरोलमेंट कराए जाने के सम्बन्ध में*

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 300/चार-29/प्रा.वि.द./2019, दिनांक 5 जुलाई, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- कतिपय जनपदों में प्रशिक्षित महिला पी.आर.डी. जवानों का विवाह दूसरे जनपद में हो जाने, एक जनपद से प्रशिक्षित पुरूष पी.आर.डी. जवान के दूसरे जनपद में विशेष कारणो से स्थायी रूप से आवासित हो जाने के फलस्वरूप उन्हें नए आवासित जनपद के पी.आर.डी. संगठन में एनरोल्ड करने तथा उनके प्रशिक्षण व अन्य आवश्यक अभिलेखों का हस्तान्तरण किए जाने हेतु उक्त पत्र दिनांक 5 जुलाई, 2019 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में निम्नवत् नीति निर्धारित की जाती हैः-

(1) सम्बन्धित व्यक्ति/महिला को प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त जवान होना अनिवार्य है।

(2) जिस जनपद में एनरोलमेन्ट अपेक्षित हो, उस जनपद का स्थायी निवासी होने की पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

(3) याचित जनपद के पी.आर.डी. नॉमिनल रोल पंजिका में एनरोल्ड हो जाने के उपरान्त उसका नाम पूर्व के जनपद के नॉमिनल रोल पंजिका से पृथक कर दिया जाएगा और वह नवीन जनपद में ही ड्यूटी के लिए अर्ह होगा।

(4) सम्बन्धित जवान के द्वारा अपना आवेदन जनपद के जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित जवान के प्रशिक्षण सम्बन्धी मूल अभिलेखों का भलीभांति परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित सम्बन्धित जनपद के मण्डलीय उप निदेशक, युवा कल्याण को प्रेषित करेंगें।

(6) सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, युवा कल्याण द्वारा तथ्यों एवं परिस्थितियों का सम्यक् परिशीलन कर याचित जनपद में एनरोलमेन्ट हेतु आदेश जारी करते हुए उसकी प्रति महानिदेशालय को भी प्रेषित की जाएगी।

(7) यदि मण्डल के बाहर के जनपद में एनरोलमेन्ट का प्रकरण है, तो सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक के द्वारा प्रकरण महानिदेशालय को प्रेषित किया जाएगा और महानिदेशालय स्तर पर उप निदेशक (पी.आर.डी.) के द्वारा प्रदेश के याचित जनपद में जवान के एनरोलमेन्ट हेतु आदेश जारी किए जाएंगें।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तरत-2 के आलोक में विषयगत प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह.-
(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)
अनु सचिव।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्याः-647 /चार-29/प्रा.वि.द./2019 दिनांक 30 सितम्बर, 2019

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(अजातशत्रु शाही)
उप निदेशक